लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

विज्ञापन संख्या
ए-4/ई-1/2002

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002

डाक घर द्वारा आवेदन पत्र विक्रय की तिथि - 25 जनवरी 2003

आयोग द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि - 21 फरवरी 2003

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

विज्ञापन आयोग के वेबसाईट http://www.uppsc.org. पर भी उपलब्ध है।

2.इस परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र परम्परागत आवेदन पत्र सहित जिलों के क्रमांक 7(2) में निर्धारित डाक घरों से मूल्य के आधार पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र के पी.जी. सीरीज (केवल सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों (समाज के विकलांग को छोडकर) का मूल्य रु० 215/- तथा पी.आर. सीरीज (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित्त जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं समाज के विकलांग हेतु) का मूल्य रु० 125/- होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य उनकी मुख्य श्रेणी के अनुसार होगा।

3 आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित प्रपत्र तथा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश , विषय तथा पाठ्यक्रम भी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र तथा परम्परागत आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद , उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा में **सहायक अभियोजन अधिकारी के 57 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु वर्ष 2003 में आयोग द्वारा इलाहाबाद तथा लखनऊ के निर्धारित केन्द्रों पर एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेंगे। उक्त 57 पदों में** से सामान्य की **27 अनुसूचित जाति की 13 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 17 रिक्तियाँ हैं।**

परीक्षा की तिथियाँ तथा केन्द्र आवंटित कर अभ्यर्थियों को समयानुसार सूचित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने पर यथावश्यक प्रारम्भिक परीक्षा भी कराई जा सकती है।

2. रिक्तियों की संख्या असामान्य परिस्थितियों में घट बढ़ सकती है।

3. आरक्षण : क्षैतिज आरक्षण समाज के विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को अद्यतन शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट : (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडे वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नही है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें तथा आरक्षण हेतु आवेदन न करें।**(4)** उत्तर प्रदेश के बाहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो एवं महिलाओं को आरक्षण अनुमन्य नही है।

4. वेतनमान : रु 6500-10500.

5. शैक्षिक अर्हताएं : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक
की उपाधि अवश्य धारित करना चाहिए।

अधिमानी अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; **2.** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

6. आयु :- (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2002 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व तथा 01.07.1981 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट :-

(क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयु सीमा 5
वर्ष अधिक होगी। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5
वर्ष अधिक होगी। (केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियो को ही उक्त छूट अनुमन्य होगी)(ख)
समाज के विकलांग अभ्यर्थियों की भी आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।(ग) अवमुक्त आपात कमीशन प्राप्त
अधिकारियों/अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष
की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश संख्या 17/
12/1981 – कार्मिक -2, दिनांक 28.2.85 के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की
छूट ऐसे सैनिकों/सैन्य अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अन्तिम
तिथि से अगले 6 माह के भीतर अवकाश ग्रहण करने वाले हो।(घ) शासनादेश संख्या – 22/21/1983
– कार्मिक –2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाडियों के लिए अधिकतम
आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी ऐसे अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र के साथ प्राप्त प्रारूप पर सक्षम
अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(च) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता :- आपात
कमीशन प्राप्त/अल्प कालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नही हुए हैं, किन्तु जिनकी
सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या 22/10/1970
कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

(क) ऐसे आवेदकों को सेना, नौ सेना, वायु सेना के सक्षम अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना
होगा कि उनकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढाई गई है तथा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही
लम्बित नही है।

(ख) ऐसे आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ यह लिखित अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित
पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे।

(ग) आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि :–

(i) उन्हें सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ii) वे त्याग पत्र देकर अथवा स्वयं के निवेदन पर अवमुक्त हुए हों।

(iii) वे सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हो।

(छ) ऐसे विवाहित पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे
व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम
राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

7. आवेदन कैसे करें :- ओ.एम.आर. आवेदन पत्र, परम्परागत आवेदन पत्र निर्देश, विषय एवं पाठ्यक्रम
आदि प्रधान/मुख्य डाक घर तथा निम्नलिखित डाक घरों से क्रय किए जा सकते हैं। आवेदन पत्रों का मूल्य
पी.जी. सीरीज (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थी (समाज के विकलांग को छोड़कर)
रु० 215/- तथा पी.आर. सीरीज (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति
के अभ्यर्थियो हेतु) रु० 125/- होगा। आवेदन पत्र वितरण की तिथि से आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि तक
प्राप्त होंगे।

अभ्यर्थियों को अलग से कोई शुल्क का ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा करना है।

7(2)डाक घरों की सूची :- **01-** आगरा, **02-** अलीगढ़, **03-** इलाहाबाद (जी पी ओ), **04-** अम्बेडकर नगर
(अकबरपुर), **05-** औरैया, **06-** आजमगढ़, **07-** बदायूँ, **08-** बागपत, **09-** बहराइच, **10-** बलरामपुर, **11-**
बलिया, **12-** बाँदा, **13-** बाराबंकी, **14-** बरेली, **15-** बस्ती (बांसी), **16-** बिजनौर, **17-** बुलंदशहर, **18-**
चंदौली, **19-** चित्रकूट (कर्वी), **20-** देवरिया, **21-** एटा, **22-** इटावा, **23-** फैजाबाद, **24-** फर्रुखाबाद
(फतेहगढ), **25-** फतेहपुर, **26-** फिरोजाबाद, **27-** गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), **28-** गाजियाबाद, **29-**
गाजीपुर, **30-** गोंडा,**31-** गोरखपुर, **32-** हमीरपुर, **33-** हरदोई, **34-** हाथरस, **35-** जालौन (उरई), **36-**
जौनपुर, **37-** झाँसी, **38-** ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा), **39-** कन्नौज, **40-** कानपुर (जीपीओ), **41-**
कौशाम्बी (मझनपुर), **42-** कुशीनगर (पडरौना) **43-** लखीमपुर खीरी, **44-** ललितपुर, **45-** लखनऊ (जी पी
ओ), **46-** महाराजगंज, **47-** महोबा, **48-** मैनपुरी, **49-** मथुरा, **50-** मऊ, **51-** मेरठ, **52-** मिरजापुर, **53-**
मुरादाबाद, **54-** मुजफ्फर नगर, **55-** पीलीभीत, **56-** प्रतापगढ़, **57-** राय बरेली, **58-** रामपुर, **59-**
सहारनपुर, **60-** संत कबीर नगर (खलीलाबाद), **61-** संत रविदास नगर (भदोही), **62-** शाहजहाँपुर, **63-**
श्रावस्ती (भिन्गा), **64-** सिद्धार्थ नगर (तेतरी बाजार), **65-** सीतापुर, **66-** सोनभद्र (राबर्ट्स गंज), **67-**
सुल्तानपुर, **68-** उन्नाव, **69-** वाराणसी, (जी पी ओ)।

(एस.पी. गोयल)
आई.ए.एस. सचिव

OPPO A53